



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)

**Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.**  
(Formerly: Allahabad State University, Allahabad)

पत्रांक : प्रो०रा०सि०वि०वि०/उ०कु०स०का०/छा.वृ./०२ /2021-2022

दिनांक : २३ अप्रैल, 2022

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,  
प्रयागराज।

**विषय-** दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं के बायोमैट्रिक अटेण्डेंस प्रक्रिया के सम्बन्ध में।  
**महोदय,**

कृपया अवगत कराना है कि निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या सी-51/स०क०/शिक्षा/-31/3/403/2022-23 दिनांक 07.04.2022 से सम्बन्धित विज्ञप्ति (संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं क बायोमैट्रिक अटेण्डेंस प्रक्रिया लागू किये जाने एवं शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत से ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी क निर्देश प्रदान किए गए हैं।

उक्त के अनुपालन में मुख्य विकाय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.04.2022 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विकास भवन स्थित सरस केन्द्र, प्रयागराज में मुख्य विकाय अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी है। जिसमें समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबन्धक को प्रतिभाग करना अनिवार्य है। किसी भी महाविद्यालय के अनुपस्थित होने की दशा में उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय स्तर से कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

(श्रीमती दीप्ति मिश्रा)  
उप कुलसचिव/  
कृते कुल सचिव

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
3. समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पी०आर०एस०यू० प्रयागराज।
5. निजी सचिव कुलपति को, मा० कार्यालय जी के सूचनार्थ।
6. निजी सचिव कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
7. एजेन्सी प्रभारी, सभी कालेज लागिन पर अपलोड करने हेतु।

उप कुलसचिव/  
कृते कुल सचिव

## प्रेस विज्ञापित

निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या सी-51/स०क०/ शिक्षा-अ/3/403/2022-23 दिनांक 07.04.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्र/छात्राओं के वायव्येदिक अटेण्डेंस प्रक्रिया लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमत्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार वेब उपस्थिति प्रणाली (गैरितिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने का व्यवधान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होगी। इस हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान में छात्रों के वायव्येदिक अटेण्डेंस हेतु उपकरण लगाया जाना है। प्रत्येक संस्थान स्तर पर छात्रों के माध्यमवार अटेण्डेंस को राज्य स्तर पर एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ व श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

उक्त के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 20.04.2022 को क्रम में दिनांक 25.04.2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विकास भवन स्थित सरस केंद्र, प्रयागराज में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें सरस शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्राचार्य/रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर बैठक में अनिवार्य रूप से स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे।

(प्रवीण कुमार सिंह)  
जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
प्रयागराज

## कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक: C-146 /स०क०/छात्रवृत्ति/विज्ञापित/2022-23 दिनांक: 24-4-2022  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
3. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
4. उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), प्रयागराज की सेवा में समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से इष्ट स्तर की शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों की एक बैठक तत्काल कराये तथा निर्धारित तिथि, स्थान व समय से अधोहरताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
7. सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि प्रेषित कि कृपया उक्त का प्रकाशन आज ही दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,  
प्रयागराज